**UPBD010021182026**

**न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, बांदा।**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–948 / 2026

लालू उर्फ सत्यम ठाकुर उर्फ सत्यम सिंह पुत्र काजू सिंह उर्फ योगेन्द्र सिंह, निवासी–ग्राम–मवई, थाना–कबरई। हाल मुकाम मोहल्ला विवेक नगर कस्बा व थाना–कबरई, जिला–महोबा उ0प्र0।

**प्रति**

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0–12 / 2026
धारा–178, 179, 181, 61(2) बी0एन0एस0
थाना–कोतवाली नगर, जिला–बांदा।

दिनांक 10.06.2026

1. वर्तमान जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी / अभियुक्त लालू उर्फ सत्यम ठाकुर उर्फ सत्यम सिंह की ओर से मुकदमा सं0 12 / 2026 अंतर्गत धारा–178, 179, 181, 61(2) बी0एन0एस0 थाना–कोतवाली नगर, जिला–बांदा में जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत पर रिहा किये जाने हेतु संस्थित किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वयं के शपथपत्र से समर्थित है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक आशुतोष त्रिपाठी द्वारा थाना कोतवाली नगर, जिला–बांदा में इस आशय की फर्द प्रेषित की गयी है कि, दिनांक 04.01.2026 को जी0डी0 सं0–06 समय 00.12 बजे वह मय हमराह उपनिरीक्षक प्रीत कुमार पाण्डेय, कॉ0 अनुरोग यादव, कॉ0 सतीश कुमार व चालक कॉ0 सौरभ यादव मय वाहन के साथ वांछित वारण्टी पेडिंग विवेचना रात्रि गस्त अपराध रोकथाम हेतु कालू कुआं चौराहे पर मामूर थे तभी जनपदीय एस. ओ0जी0 टीम उपनिरीक्षक प्रभारी आनन्द कुमार, हे0कॉ0 अश्वनी सिंह, कॉ0 अमित त्रिपाठी, कॉ0 मनीष मिश्रा, कॉ0 प्रतीक मय सरकारी वाहन उपस्थित आये जिनसे अपराध व जुर्म रोकथाम की चर्चा हो रही कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति महोबा के रहने वाले हैं नकली नोटों का धन्धा करते हैं जो कि कनवारा चौराहे से करीब 150 मीटर आगे महोबा की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिया के पास खड़े हैं कहीं जाने की फिराक में हैं यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की बात पर विश्वास कर व उपस्थित पुलिस बल को सूचना से अवगत कराते हुए एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया गया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। उक्त सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये मय मुखबिर मय पुलिस बल के अपने अपने सरकारी वाहनों से मुखबिर द्वारा

Digitally signed by ARPANA SHARMA
Date: 2026.06.10 14:56:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बताये गये स्थान की तरफ रवाना हुये। पुलिया से 200 कदम पहले मुखबिर द्वारा हमें रोक कर दूर खड़े व्यक्तियों की तरफ ईशारा कर बताया गया कि वे जो गुलाबी छींटदार बोरी लिये खड़े हैं वो वही व्यक्ति हैं जिनके विषय में मैंने आप लोगां को बताया है। पुलिस बल उक्त व्यक्तियों की तरफ अपने अपने वाहनों से उतरकर बढ़े तो हम लोगों को आता देख वे दोनों विपरीत दिशा की तरफ भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें दौड़कर घेरकर पकड़ लिया। दोनों पकड़े हुये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुये भागने का कारण पूछा गया तो पहले ने अपना नाम राजा राम प्रजापति पुत्र स्व0 अयोध्या निवासी ग्राम उटियां थाना कबरई जनपद महोबा बताया व दूसरे ने अपना नाम राहुल सिंह पुत्र राजू सिंह निवासी ग्राम पिड़ारी थाना कबरई जनपद महोबा बताया व भागने के विषय में दोनों व्यक्तियों से पूछा गया तो टाल मटोल करने लगे जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों व्यक्तियों ने एक स्वर में बताया कि हम लोग नकली भारतीय जाली नोट बनाकर उसे प्रयोग करते हैं हम लोगों के पास नकली नोट व उसके बनाने के उपकरण है इसलिए हम लोग आप लोगों को देखकर डर कर भागने लगे। पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गयी तो राजाराम प्रजापति के दाहिने हाथ में लिये गुलाबी छिंटदार बोरी को खोलकर देखा गया तो एक अदद प्रिन्टर सफेद रंग जिस पर अंग्रेजी में एचपी स्मार्ट टैंक 525 अंकित है। प्रिंटर के स्केनर वाले भाग को खोलकर देखा गया तो जिसमें 2 अदद भारतीय रूपया 500 के नोट बरामद हुए जिनका सीरियल नंबर क्रमशः 4EA268925 व 9FD379901 मिला व एक अदद इस्ताली पारदर्शी शीशा, स्केल, कटर ब्लेड जिस पर नटराज अंकित है व एक अदद लकड़ी का फ्रेम जिसके बीच में इस्तेमाली हरा कपड़ा जुड़ा हुआ जिस पर महात्मा गांधी की तस्वीर की छाया बनी हुयी व एक अदद EMULSION, दो अदद वेनासाईं जिस पर VINY WHITE SUNTX अंकित है, तीन अदद PVC PRIMA MEDIUM SUNTX इस्तेमाली व तीन अदद इंक क्रमशः जिस पर HP GT53INK BLACK BOTTLE, HP GT 52 CYAN BOTTLE व HP GT 52 MAGENTA INK BOTTLE अंकित है, दो अदद टेप चमकीला हरे रंग का, एक अदद ब्रश पीला सफेद धातु से जुड़ा हुआ, एक अदद सफेद प्लास्टिक की कटौरी नुमा व एक अदद इस्तेमाली बण्डल ए. फोर साइज सफेद सादा पेपर बरामद किया गया। राजाराम की जिन्स की दाहिनी जेब से रबर से लिपटी हुयी पांच सौ रूपये के नोट की गड्डी बरामद हुयी जिसे खोलकर व गिनकर देखा गया तो कुल 120 पांच सौ के नोट बरामद हुये। बरामद समस्त नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया व सिरियल नम्बर 4EA268925 अंकित पाया गया व पहने हुये जीन्स की बायी जेब से 1 अदद मोबाइल व 300 रूपये मिला। दूसरे व्यक्ति राहुल सिंह की जामा तलाशी से पहने हुये जीन्स पैंट की दाहिनी जेब से रबर में लिपटी हुयी पांच

सौ रूपये की नोटों की गड्डी मिली जिसे खोलकर गिनकर देखा गया तो 105 नोट (कुल 52000 रूपये) बरामद हुये बरामद समस्त नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया व सिरियल नम्बर 9FD379901 पाया गया व पहने हुये जीन्स की बायीं जेब से एक अदद मोबाइल व 220 रूपये मिला। अभियुक्तगण से बरामद दोनों 500 की गड्डी के समस्त नोटों पर दो सीरियल नंबर ही अंकित है जिससे यह स्पष्ट है कि यह नोट नकली हैं। कड़ाई से पूछा गया तो दोनों व्यक्तियों ने बताया कि जो 2 पांच सौ के असली नोट प्रिंटर में आप लोगों को मिला है उसी असली पांच सौ रूपये के नोटों की सहायता से इस उपकरण का प्रयोग करके हम लोगों ने 500 रूपये के समस्त नकली नोट बनाये हैं व बताने लगे कि अपने मित्रों लालू उर्फ सत्यम ठाकुर व राजेश पुत्र गोली सिंह की सहायता से जाली नोटों को बनाकर उसका प्रयोग कर लाभ लेते हैं। उक्त लोगों को उनका जुर्म बताते हुए स्थान कनबारा चौराहे से करीब 150 मीटर आगे महोबा की तरफ जाने वाली पुलिया की तरफ समय करीब 11.15 बजे पुलिस हिरासत व माल कब्जा लिया गया। बरामद माल हेतु मौके पर उपस्थित कॉ0 अनुराग यादव को भेजकर पारदर्शी प्लास्टिक का डिब्बा मंगाकर अभियुक्तगणों से बरामद नकली नोटों व मोबाइल को अलग–अलग डिब्बों में रखकर सर्व सील मोहर किया गया व अभियुक्त से बरामद उपकरण व अन्य सामग्रियों को प्लास्टिक की बोरी सहित सफेद कपड़े में रखकर सर्व सील मोहर किया गया व नमूना मोहर तैयार किया गया। जामा तलाशी से मिले पैसों की अलग–अलग अभियुक्तगणों के अनुसार चिटबंदी की गयी गिरफतारी व बरामदगी के समय आस पास के लोग इकटठा हो गये जिनसे गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के कारण मौके से हट गये। मौके पर फर्द उपनिरीक्षक द्वारा बोल कर कॉ0 अनुराग यादव के द्वारा तैयार की गयी।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वह उपरोक्त प्रकरण में पूर्णतया निर्दोष है। रंजिशन व साजिशन झूंठा फंसा दिया गया है। जिस तरह से घटना का घटित होना कहा गया है उस तरह से घटना का घटित होना असंभव प्रतीत होता है। वादी मुकदमा द्वारा घ ाटना के संबंध में जो भी बाते प्राथमिकी में कही गयी है, उनसे उसका कोई सरोकार नहीं है और न ही उसके द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में कोई घटना कारित ही की गयी है और न ही उसका उपरोक्त घटना कारित करने का कोई उद्देश्य ही है। घटना का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है, वादी द्वारा कथित घटना स्थल के दोनों तरह बहुत सारे लोगों के मकान व दुकाने बनी हुई है तथा घटना स्थल व्यस्तम स्थान है। घटना स्थल पर जनसाक्षी का न होना घटना को संदिग्धता उत्पन्न करती है, जो भी साक्षी वादी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में दर्शाये गये है वह वादी मुकदमा के मातहत कर्मचारीगण है। वादी द्वारा कथित दिनांक व समय पर कोई घटना स्थल से

फर्द बरामदगी नहीं की गयी है और न ही घटना स्थल पर कोई फर्द तैयार की गयी है। उसके द्वारा कभी भी जाली नोटो को बनाकर उसका प्रयोग कर लाभ प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा कोई षड़यन्त्र करके किसी को नोट बनाने के लिए उत्प्रेरित ही किया गया है। वह व उसका परिवार घटना के कुछ दिन पूर्व तक उपरोक्त प्रकरण के अभियुक्त राहुल सिंह के कबरई स्थित मकान में किराये पर रहते रहे है, किराये के रहने के दौरान ही उसका राहुल सिंह से मकान खाली करने को लेकर वाद विवाद हो गया, वाद विवाद हो जाने पर राहुल सिंह द्वारा उसको यह धमकी दी गयी थी कि तुम्हें भविष्य में देख लेगा। इसी वाद विवाद की रंजिश को लेकर उसके द्वारा उसका नाम उपरोक्त घटना में शरीक होना बताया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस प्रार्थना पत्र के अलावा कोई भी अग्रिम जमानत/नियमित जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या सक्षम न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है। सह–अभियुक्त राजेश सिंह की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 08.04.2026 को प्रदत्त कर दी गयी है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। न्यायालय की संतुष्टि पर पर्याप्त जमानते देने को तैयार है। वह टाइफाइड रोग से पीड़ित व्यक्ति है। उसका इलाज चल रहा है। अगर उसको अग्रिम जमानत पर रिहा न किया गया, तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ताफैसला मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध कर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने जाने योग्य कहा है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त लालू उर्फ सत्यम ठाकुर उर्फ सत्यम सिंह पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर असली पांच सौ के नोटों से नकली पांच सौ रूपये के नोट तैयार करने एवं जाली नोटों का प्रयोग करके लाभ कमाने का गंभीर आरोप है। अभियुक्त का नाम सह–अभियुक्तगण के बयानों के आधार पर प्रकाश में आया है। सह–अभियुक्तगण से बरामद नोटों की परीक्षण रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके अनुसार उक्त बरामद नोट जाली पाये गये है। मामले में अभियुक्त के विरूद्व विवेचना प्रचलित है तथा केस डायरी के अनुसार उसके द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले में सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस

न्यायालय से निरस्त हो चुकी है। अभियुक्त की ओर से जो अन्य तर्क प्रस्तुत किये गये है, वह साक्ष्य एवं विचारण का विषय है। जिनका कोई लाभ अभियुक्त को इस स्तर पर नहीं दिया जा सकता है।

7. अतः अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

8. प्रार्थी/अभियुक्त लालू उर्फ सत्यम ठाकुर उर्फ सत्यम सिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अल्पना)
सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं0 UP05748)
बांदा।

दिनांकः 10.06.2026